रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III —खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 2002/ज्येष्ठ 10, 1924
No. 109] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2002/JYAISTHA 10, 1924

IndiaCode

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2002

फा.सं.एन.-10/20/2001-पीपीसी.— निगम, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990 (1990 का 25) की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 33 की उपधारा [2] के खंड [ख] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) कैमरामैन श्रेणी-II पद सेवा विनियम, 2002 है।

(2)ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रारंभिक गठन -

इन विनियमों के प्रवृत्त होने पर नियुक्त सभी व्यक्ति जो नियमित आधार पर कैमरामैन श्रेणी - II का पद धारण किए हुए हैं वे इन नियमों के अधीन प्रसार भारती में पद पर नियुक्त समझे जाएंगे। इन विनियमों के प्रवर्तन से पूर्व उनके द्वारा की गई सेवा अगली उच्च श्रेणी में उनकी प्रोन्नति आदि के लिए पात्रता विनिश्चित करने के लिए संगणित की जाएगी।

Scanned by CamScanner

3. पद संख्या और वेतनमान -

उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम 2 और 3 में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि -

उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 से 11 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति -

[क] जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
[ख] जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. शिथिल करने की शक्ति -

जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति:-

इन विनियमों में कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

Indiacode

Scanned by CamScanner

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा अथवा वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
1	2	3	4	5	6	7
कैमरामैन श्रेणी-2	* 509 {2001} *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	6500- 200- 10500/- रूपए	लागू नहीं होता	अधिकत्तम 30 वर्ष [प्रसार भारती के कमर्चारियों के लिए 5 वर्ष शिथिल की जा सकती है] टिप्पणी: आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निणार्यक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । नकि वह अंतिम तारीख जो आसाम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिती जिले, तथा चम्बा ज़िले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	अनिवार्य: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से चलचित्रिकी में डिप्लोमा या डिग्री या समकक्ष टिप्पण: अर्हताएं और आयु मर्ती बोर्ड, प्रसार भारती के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। वांछनीय: चलचित्र फोटोग्राफी में दो वर्ष का अनुभव	लागू नहीं

Scanned by CamScanner

परिवीक्षा अवधि यदि कोइ हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
8	9	10	11
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	**विभागीय पदोन्नति समिति** **[स्थायीकरण के लिए]** *1. उप महानिदेशक [कार्यक्रम] दूरदर्शन - अध्यक्ष *2. उप महानिदेशक [कार्मिक , दूरदर्शन] - सदस्य *3. कार्यक्रम नियंत्रक, दूरदर्शन- सदस्य * महानिदेशक [दूरदर्शन] द्वारा नामित किए जाएंगे।

के.एस. सर्मा, कार्यकारी सदस्य

[विज्ञापन III/IV/163/2002-असाधा.]

Scanned by CamScanner

PRASAR BHARATI

(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2002

F.No. N-10/20/2001-PPC.— In exercise of the powers conferred by section 33 read with sub-section (2) of section 9 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement** :

 (i) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Cameraman Grade-II Post Service Regulations, 2002.

 (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Initial Constitution** : All persons appointed at the commencement of these regulations holding the post of Cameraman Grade-II on regular basis shall be deemed to have been appointed to the post in the Prasar Bharati under these regulations shall be taken into account for deciding the eligibility for promotion etc. to the next higher grade.

3. **Number of posts and scales of pay** : The number of the said post and their scale of pay shall be as specified in columns (2) and (3) of the schedule annexed hereto.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** : The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as in columns 4 to 11 of the said Schedule.

5. **Disqualification** : No person-

 (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

 shall be eligible for appointment to the Service:

 Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. **Power to relax** : Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons or posts with the previous approval of the Central Government.

7. **Savings** : Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes and other categories of persons in accordance with the orders issued by Government from time to time.

1768 GI/02

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

SCHEDULE

Name post	No. of posts	Scale of pay	Whether Selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational & other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Periqd of probation, if any.	Method of recruitment	Grade from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If DC exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Cameraman Grade II	509 *(2002) *Subject to variation dependant on workload	Rs. 6500-200-10500	Not applicable	Not exceeding 30 years. *Note* : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for these in Assam, Meghallaya, Nagaland, Tripura, Mizoram, Manipur, Arunachal Pradesh, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and spiti District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential** : Diploma or degree in Cinematography from a recognized University or equivalent. *Note* : Qualifications and age are relaxable on the direction of the Recruitment Board, Prasar Bharati. **Desirable** : Two years experience in motion picture photography.	Not applicable	Two years.	By direct recruitment	Not applicable	Departmental Promotions Committee (for confirmation): *1. Deputy Director General, (Programme) Doordarshan – Chairman *2. Deputy Director General, (Personal), Doordarshan, - Member *3 Controller of Programmes, Doordarshan, - Member. * To be nominated by the Director General (Doordarshan).

K.S. SARMA, Executive Member

[Advt. III/IV/163/2002-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2002

IndiaCode